



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 25 राँची, बुधवार
17 अग्रहायण, 1943 (श०)
8 दिसम्बर, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 326- 332 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक--
	पूरक "अ"

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

29 अक्टूबर, 2021

संख्या-1/विविध-817/2020का०-6699--श्री उत्कर्ष गुप्ता, भा.प्र.से. (झा:2017), अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि व्यवस्था, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 16.11.2021 से 15.12.2021 तक कुल 30 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

22 अक्टूबर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-14/2018का०6546--श्री देवराम भगत, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 657/20, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा को दिनांक 16.12.1993 से 13.01.1994 तक (कुल 29 दिन) के असाधारण अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

6 अक्टूबर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-37/2017का.-6322--श्रीमती अमृता प्रियंका एक्का, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कामडारा, गुमला को वित्त विभाग के संकल्पों एवं झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के तहत मातृत्व एवं उपार्जित अवकाश की निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- (i) दिनांक 18.08.2020 से 13.02.2021 तक :- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प
(कुल 180 दिन) संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 एवं संकल्प संख्या-907 दिनांक 01.07.2010 के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में ।
- (ii) दिनांक 14.02.2021 से 11.04.2021 तक :- झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227,
(कुल 57 दिन) 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MOHAMMAD FAIZAN ALI अन्य नाम ARMAN ALI पिता AMJAD ALI, शपथ पत्र सं० 1073, दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुसार MOHAMMAD FAIZAN ALI के नाम से जाना जाऊँगा ।

MOHAMMAD FAIZAN ALI एवं ARMAN ALI दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- S/O AMJAD ALI,
AYSHA NAGAR,
GALI NO. - 20
MAULANA AZAD COLONY,
P.O & P.S.- NAMKUM,
DIST.- RANCHI,
PIN- 834010
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं GOPAL JAJOO अन्य नाम GOPAL MAHESWARI पिता GAJ RAJ JAJOO, शपथ पत्र सं० 1072, दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुसार GOPAL JAJOO के नाम से जाना जाऊँगा ।

GOPAL JAJOO एवं GOPAL MAHESWARI दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- C/O CHILD WORLD SCHOOL,
AT & PO - MARAR,
RANCHI ROAD,
RAMGARH CANTT
PIN - 829117
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं JITENDRA PRASAD अन्य नाम JITENDRA KUMAR पिता LATE BIVEKI RAM, शपथ पत्र सं० 693, दिनांक 21 सितम्बर, 2021 के अनुसार JITENDRA PRASAD के नाम से जाना जाऊँगा ।

JITENDRA PRASAD एवं JITENDRA KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- SECTOR- 9/C,
QUARTER NO.- 630,
NEAR YADAV CHOWK,
STREET- 22,
BOKARO STEEL CITY,
PIN- 827009
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MANOJ KUMAR अन्य नाम MANOJ PRASAD पिता LATE MATHURA PRASAD, शपथ पत्र सं० 611, दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 के अनुसार MANOJ KUMAR के नाम से जाना जाऊँगा ।

MANOJ KUMAR एवं MANOJ PRASAD दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- S/O - LATE MATHURA PRASAD,
GAUSHALA CHOWK,
UPPER BAZAR,
LAXMI NARAYAN APARTMENT,
RANCHI G.P.O,
JHARKHAND.
